

47

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या- 1036/III(1)/15-46(अधि0)/2009 टीसी0-बी
देहरादून, दिनांक 09 जुलाई, 2015

कार्यालय ज्ञाप :-

C.E(HH)/E.EI

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य अभियन्ता/प्रमारी मुख्य अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम 4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री एस०के० बिरला, प्रमारी मुख्य अभियन्ता।	प्रमारी मुख्य अभियन्ता, टिहरी	परियोजना निदेशक, ए०डी०बी०, देहरादून।

- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी टिहरी को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- सम्बन्धित अभियन्ता को प्रमारी मुख्य अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 1036/III(1)/15-46(अधि0)/2009 टीसी0-बी, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- एच०, गा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ए०डी०बी० (आपदा), उत्तराखण्ड।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/मुख्य अभियन्ता स्तर-2 लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, ए०डी०बी०।
- सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से
(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव

4-7

उत्तराखण्ड शासन
लोक निर्माण अनुभाग-1
संख्या- 1040/III(1)/15-46(अधि0)/2009 टीसी0-बी
देहरादून, दिनांक 09 जुलाई, 2015

-: कार्यालय ज्ञाप :-

CE (Hh)/E.E.I

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य अभियन्ता/प्रभारी मुख्य अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री कें०कें० श्रीवास्तव, प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर-2	प्रभारी मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, अल्मोडा।	प्रभारी मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, विभागाध्यक्ष कार्यालय, देहरादून।

- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित निचत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित परिषद कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथाराम्य योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी मुख्य अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 1040/III(1)/15-46(अधि0)/2009 टीसी0-बी, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशारी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव

4.

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या-- 1037/III(1)/15-46(अधि0)/2009 टीसी0-बी

देहरादून, दिनांक 07 जुलाई, 2015

—: कार्यालय ज्ञाप :—

CE (H)/E.E I

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य अभियन्ता/प्रभारी मुख्य अभियन्ता को विभागीय कार्यालय में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1	श्री लोकेश शर्मा मुख्य अभियन्ता स्तर-1	मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई, देहरादून।	मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पौड़ी।

2. सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तात्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिरधानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तात्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
4. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 1037/III(1)/15-46(अधि0)/2009 टीसी0-बी, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पी०एम०जी०एस०वाई०, उत्तराखण्ड।
5. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
8. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशिषी अभियन्ता।
9. सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह पांगती)
सप सचिव

4/47

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या- 1039/III(1)/15-46(अधि0)/2009 टीसी0-बी
देहरादून, दिनांक 07 जुलाई, 2015

:- कार्यालय ज्ञाप :-

C.E(HA)/E.E.I

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य अभियन्ता/प्रभारी मुख्य अभियन्ता को विभागीय कार्यहेतु में तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है -

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री के०पी० जोशी, प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर -2	प्रभारी मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, विभागाध्यक्ष कार्यालय देहरादून।	प्रभारी मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, अल्मोडा

- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
- सम्बन्धित अभियन्ता को प्रभारी मुख्य अभियन्ता के रूप में तैनाती के फलस्वरूप उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन एवं भत्ते देय नहीं होंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 1039/III(1)/15-46(अधि0)/2009 टीसी0-बी, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिसासी अभियन्ता।
- सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आइए से।
(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव

4/क.7.

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-1

संख्या- 1038/III(1)/15-46(अधि0)/2009 टीसी0-बी
देहरादून, दिनांक 6 जुलाई, 2015

-: कार्यालय ज्ञाप :-

C.E (HW) / E.E I

लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य अभियन्ता/प्रभारी मुख्य अभियन्ता को विभागीय कार्यहित में तत्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-4 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किया जाता है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
1.	श्री आर०सी० पुरोहित, मुख्य अभियन्ता स्तर-2	मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, पौड़ी	मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि०, टिहरी।

- सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना योगदान देना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी स्थानान्तरित अधिकारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून को कार्यालय आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन अहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या 1038/III(1)/15-46(अधि0)/2009 टीसी0-बी, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- प्रधान महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सचिव, म० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
- समस्त मुख्य अभियन्ता स्तर-1/मुख्य अभियन्ता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशास्त्री अभियन्ता।
- सम्बन्धित अधिकारी (नाम से)।
- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरविन्द सिंह पांगती)
उप सचिव